

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

संस०-०४/उ०वि०(स०)विधि-१०/१२(खण्ड-१)

प्रेषक :-

प्रदीप कुमार,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

* अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास भवन स्थित उद्योग विभाग में विद्युत आपूर्ति से संबंधित क्षतिग्रस्त केवल को बदलने हेतु ₹4,25,139 (चार लाख पच्चीस हजार एक सौ उन्चालीस) मात्र स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विकास भवन स्थित उद्योग विभाग में विद्युत आपूर्ति से संबंधित क्षतिग्रस्त केवल को बदलने हेतु ₹4,25,139 (चार लाख पच्चीस हजार एक सौ उन्चालीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-950, दिनांक-15.06.2016 के द्वारा उपर्युक्त कार्य का तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹4,25,139 (चार लाख पच्चीस हजार एक सौ उन्चालीस) मात्र पर प्राप्त हुआ है। जिसपर प्रधान सचिव, उद्योग की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है।

(3) उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड P2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में मूल आय व्ययक में उपबंधित राशि से विकलित होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(4) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म BTC-25 पर करेंगे। सहायक निदेशक, लेखा उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना उक्त राशि को आर०टी०जी०एस०/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्यप्रमंडल, सं०-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएंगे।

(5) इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5434 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

(6) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-04/उ०वि०(स०)विधि-१०/१२(खण्ड-१) के पृष्ठ-74/टि० पर दिनांक-28.07.2016 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या-3080/IDC दिनांक-28.07.2016 है।

(7) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/उ०वि०(स०)विधि-१०/१२(खण्ड-१) के पृष्ठ-84/टि० पर दिनांक-16.03.2017 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या 47/OSD दिनांक 16.03.2017 है।

क्रमशः पृष्ठ-02

(8) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
प्रदीप कुमार,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
संसं-04/उवि0(स0)विधि-10/12(खण्ड-1)

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रदीप कुमार,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
संसं-04/उवि0(स0)विधि-10/12(खण्ड-1)

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रदीप कुमार,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 20-3-17

ज्ञापांक 781...../
संसं-04/उवि0(स0)विधि-10/12(खण्ड-1)

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्यप्रमंडल, सं0-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आईटी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/प्रशाखा-1 योजना (स0) एवं प्रशाखा-04, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रदीप कुमार,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

4
T.T